[2016] 6 एस. सी. आर 1001

अमित लालचंद शाह और अन्य

वी.

ऋषभ उद्यम और एक और

(2018 की सिविल अपील संख्या 4690)

03 मई, 2018

[रंजन गोगोई और आर. भानुमती, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996। 8 और 45-प्रथम उत्तरदाता ने आयोग के संबंध में चार समझौते किए

एक फोटोवोल्टिक सौर संयंत्र का-दो समझौते दिनांकित 01.02.2012 मेसर्स के साथ थे। ' जे. आई. '; एक समझौता दिनांकित 05.03.2012 जिसमें अपीलार्थी सं. 2 और अपीलार्थी सं. 1 के साथ दिनांकित एक अन्य समझौता। 3

सभी समझौतों में दिनांकित समझौते को छोड़कर मध्यस्थता खंड शामिल था 05.03.2012-पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ-पहला

प्रत्यर्थी ने आरोप लगाया कि अपीलार्थी नं. 3 किराया देने में चूक और अपीलार्थी सं। 2 भारी राशि का निवेश करके फोटोवोल्टिक उत्पादों को खरीदने के लिए प्रथम प्रतिवादी को प्रेरित करके धोखाधड़ी की-अपीलकर्ताओं ने मध्यस्थता के संदर्भ के लिए अनुरोध किया सभी चार समझौतों की धारा 8 क्योंकि वे आपस में जुड़े हुए थे-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश

अदालत ने अर्जी खारिज कर दी। एस. 8 और अभिनिर्धारित किया कि 14.03.2012 दिनांकित समझौते को मूल/प्रमुख समझौते के रूप में नहीं माना जा सकता है और

सहायक समझौतों के रूप में अन्य समझौतों और आगे यह कि चूंकि अपीलकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक शिकायत थी, इसलिए उन्हें मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जा सकता है-उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा कि 05.03.2012 दिनांकित मुख्य समझौते में मध्यस्थता खंड नहीं था, इस प्रकार मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जा सकता है-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः चारों समझौते आपस में जुड़े हुए थे-यह एक ऐसा मामला था जिसमें कई समझौते/अनुबंधों के माध्यम से निष्पादित एक वाणिज्यिक परियोजना में कई पक्ष शामिल थे-ऐसे मामले में, सभी पक्षों को दिनांकित मुख्य समझौते में मध्यस्थता खंड द्वारा कवर किया जा सकता है-जहां तक धोखाधड़ी के आरोपों का संबंध है, यह केवल वहीं है जहां धोखाधड़ी के गंभीर प्रश्न शामिल हैं।

मध्यस्थता से इनकार किया जा सकता है-तत्काल मामले में, आरोपों को इतना गंभीर नहीं कहा जा सकता है कि वे पक्षों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से इनकार कर दें-नियुक्त मध्यस्थ धोखाधड़ी के आरोपों की जांच कर सकता है-सभी चार समझौतों और उन पर पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाता है।

18] 6 एस सी आर।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. वर्तमान जैसे मामले में, हालांकि वहाँ हैं

कई पक्षों से जुड़े विभिन्न समझौतों के अनुसार, यह एक एकल वाणिज्यिक परियोजना है जिसका नाम 2 एम. डब्ल्यू. पी. फोटोवोल्टिक सौर संयंत्र का संचालन है। सौर संयंत्र को चालू करना, जो पक्षों के बीच वाणिज्यिक समझ है और यह प्रभावी हो गया है

कई समझौतों के माध्यम से। समझौता-सौर संयंत्र को चालू करने के लिए उपकरण पट्टा समझौता (14.03.2012) है

जे. आई. के साथ प्रतिवादी (i) उपकरण और सामग्री आपूर्ति अनुबंध (01.02.2012); और (ii) इंजीनियरिंग, स्थापना और कमीशन अनुबंध (01.02.2012) और प्रथम प्रत्यर्थी बिक्री और खरीद समझौता अपीलार्थी सं। 2 (05.03.2012) ये सहायक समझौते हैं जिनके कारण अपीलकर्ता संख्या 3 (पट्टेदार) द्वारा फोटोवोल्टिक सौर संयंत्र को चालू करने का मुख्य उद्देश्य प्राप्त हुआ। यद्यपि, प्रथम प्रत्यर्थी और अपीलार्थी के बीच बिक्री और खरीद समझौता (05.03.2012) नं. 2 इसमें मध्यस्थता खंड शामिल नहीं है, यह अपीलकर्ता सं। द्वारा सौर संयंत्र के चालू होने के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। 3 . ' जे. आई. ', हालाँकि, मुकदमे का पक्षकार नहीं है और हालाँकि, अपीलार्थी नहीं। 2 और अपीलार्थी संख्या 1 मुख्य समझौते के हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं। उपकरण पट्टा समझौता (14.03.2012), यह एक वाणिज्यिक लेनदेन है जो एकीकृत रूप से चालू करने से जुड़ा हुआ है।

फोटोवोल्टिक सौर संयंत्र। यह ध्यान दिया जाए कि अनुच्छेद 4 के खंड (v) के अनुसार, पक्षकार इस बात पर सहमत हुए हैं कि पूरा जोखिम, वितरण और स्थापना की लागत पहले प्रतिवादी की कीमत पर होगी।

(छोटा)। तथ्यों और इरादे से क्या स्पष्ट है

दलों को उपकरणों की खरीद, उपकरणों की बिक्री और खरीद, स्थापना और दांते एनर्जी को उपकरणों को पट्टे पर देने की सुविधा प्रदान करनी है। विभिन्न समझौतों के पक्षों के बीच विवाद का समाधान सभी चार समझौतों और उन पर पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करके ही किया जा सकता है। [पैरा 21] [1019-ई-एच; 1020-ए-सी]

2. चारों समझौते आपस में जुड़े हुए हैं। यह एक ऐसा मामला है जिसमें कई पक्ष एक ही विज्ञापन में शामिल होते हैं।

परियोजना (डोंगरी में सौर संयंत्र) को कई समझौतों/अनुबंधों के माध्यम से निष्पादित किया गया। ऐसे मामले में, सभी पक्षों को मुख्य समझौते में मध्यस्थता खंड द्वारा कवर किया जा सकता है।

उपकरण पट्टा समझौता (14.03.2012)। [पैरा 22] [1020-डी-ई] अमित लालचंद शाह बनाम।

ऋषभ एंटरप्राइजेज

3. वर्तमान मामले में, दोनों पक्षों ने फोटोवोल्टिक सौर संयंत्र को चालू करने के लिए सचेत रूप से वाणिज्यिक लेनदेन के साथ आगे बढ़े हैं। पहला उत्तरदाता आगे बढ़ गया है

इंजीनियरिंग, स्थापना और चालू करने के लिए 'जे. आई.' के साथ समझौता किया गया और अपीलार्थी सं. 2 , सौर संयंत्र को चालू करने के लिए वाणिज्यिक समझ में सभी सचेत कदम उठाए गए थे। भले ही 'जे. आई.' और अपीलार्थी नं. 2 मुख्य समझौते के पक्षकार नहीं हैं-उपकरण पट्टा समझौता

(14.03.2012) , सभी समझौतों/अनुबंधों में मुख्य समझौते का उल्लेख करने वाले खंड होते हैं। यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह "व्यावसायिक प्रभावकारिता की भावना" के साथ वाणिज्यिक समझ प्रदान करे, न कि केवल वाद में किए गए कथनों से। उच्च न्यायालय ने शिकायत में लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों के आधार पर पक्षों को संदर्भित करने से इनकार करना सही नहीं था। [पैरा 33] [1026-बी-डी]

4. यह केवल वहाँ है जहाँ धोखाधड़ी के गंभीर प्रश्न शामिल हैं, मध्यस्थता को अस्वीकार किया जा सकता है। इस मामले में, जैसा कि अपीलकर्ताओं द्वारा तर्क दिया गया था कि धोखाधड़ी का कोई गंभीर आरोप नहीं था;

अपीलार्थी नं. के खिलाफ लगाए गए आरोप। 2 क्या वह अपीलार्थी नं. 1 उत्तरदाताओं को उपकरणों की खरीद के लिए अधिक कीमत चुकाने के लिए प्रेरित करके गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। आर्थिक आयोग के समक्ष प्राथमिकी में अपीलार्थियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। अपराध शाखा, दिल्ली। अपीलार्थी नं. 1 उक्त एफ. आई. आर. को रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक रिट याचिका दायर की है। उक्त रिट याचिका लंबित बताई गई है। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि आरोपों को इतना गंभीर नहीं कहा जा सकता है कि वे पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से इनकार कर दें। किसी भी मामले में, मध्यस्थ

नियुक्त व्यक्ति धोखाधड़ी के आरोपों की बहुत अच्छी तरह से जांच कर सकता है। [पैरा 34] [1026-ई-जी]

5. मुख्य समझौता-उपकरण पट्टा समझौता

(14.03.2012) सौर संयंत्र को पट्टे पर देने और चालू करने के लिए मध्यस्थता खंड (खंड 29) शामिल है। अन्य तीन समझौते-प्रथम उत्तरदाता और 'जे. आई.' (01.02.2012) के बीच दो समझौते और पहले के बीच बिक्री और खरीद समझौता (05.03.2012)। प्रत्यर्थी और अपीलार्थी सं। 2 सौर परियोजना को चालू करने की वाणिज्यिक समझ के साथ एकीकृत रूप से जुड़े हुए हैं और पक्षों के बीच विवाद को हल करने के लिए, उन्हें [2018] 6 एस. सी. आर. होना है।

मध्यस्थता के लिए संदर्भित। उच्च न्यायालय के आदेश को अस्वीकार करते हुए

पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना जारी नहीं रखा जा सकता है और अलग रखे जाने के लिए उत्तरदायी है। चार समझौते अर्थात्: - (i) पहले उत्तरदाता के बीच उपकरण और सामग्री आपूर्ति अनुबंध (01.02.2012)

और 'जे. आई.'; (ii) इंजीनियरिंग, स्थापना और चालू करना। प्रथम उत्तरदाता और 'जे. आई.' के बीच अनुबंध (01.02.2012); (iii) प्रथम उत्तरदाता के बीच बिक्री और खरीद समझौता (05.03.2012)

और अपीलार्थी नं. 2 ; और (iv) प्रत्यर्थी और अपीलार्थी संख्या के बीच उपकरण पट्टा समझौता (14.03.2012)। 3 और उस पर पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाता है। [पैरा 35] [1026-जी-एच; 1027-ए-सी]

6. उपकरण पट्टा समझौते की शर्तों के अनुसार

(14.03.2012) , अपीलार्थी सं. 3 को पट्टा किराया का भुगतान करना होगा

मार्च, 2012 के महीने के लिए 67,500/- और अप्रैल, 2012 से पंद्रह साल की अवधि के लिए 26,000/- प्रति माह के पट्टे के किराए का भुगतान करने के लिए। प्रत्यर्थियों ने प्रस्तुत किया है कि अपीलकर्ता संख्या 3 ने उपकरण पट्टा समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार किराए का भुगतान नहीं किया है और यह भी ध्यान आकर्षित किया है कि अपीलकर्ता संख्या। 2 अपने शेयरों का% 99.99 हस्तांतरित कर दिया है और अपीलार्थी सं। 1 केवल एक शेयर (0.01%) है। प्रत्यर्थियों के हित की तब तक रक्षा की जानी चाहिए जब तक कि मध्यस्थ द्वारा मामला हल नहीं हो जाता है और अपीलकर्ताओं को पट्टा किराए के बकाया का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है और साथ ही उपकरणों के लिए भविष्य के पट्टा किराए का भुगतान Rs.28,26,000/- प्रति माह की दर से किया जाता है। [पैरा 36] [1027-सी-डी, एफ-जी]

ए. अय्यासामी बनाम। ए. परमशिवम और अन्य (2016) 10

एससीसी 386: [2016] 11 एस. सी. आर. 521-निर्भर।

सुकन्या होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड बनाम जयेश एच. पांड्या और

एक और (2003) 5 एससीसी 531: [2003] 3 एससीआर 558; क्लोरो

कंट्रोल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड v. सेवर्न ट्रेंट वाटर

शुद्धिकरण इंक. और अन्य (2013) 1 एससीसी 641: [2012]

13 एस. सी. आर. 402; अरुंधति मिश्रा (श्रीमती) बनाम। श्री राम चरित्र पांडे (1994) 2 एस. सी. सी. 29-संदर्भित।

न्यायमूर्ति आर. एस. बचावत का मध्यस्थता का कानून और

सुलह, छठा संस्करण, खंड। I (धारा 1 से 34)

पृष्ठ 695 लेक्सिस नेक्सिस द्वारा प्रकाशित)-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2003] 3 एससीआर 558

संदर्भित किया गया है

पैरा 2 अमित लालचंद शाह बनाम। ऋषभ एंटरप्राइजेज

[2012] 13 एससीआर 402

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10

(1994) 2 एससीसी 29

संदर्भित किया गया है

पै

रा 29

[2016] 11 एससीआर 521

उस पर भरोसा करें

पै

रा 32

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 4690

2018 से।

उच्च न्यायालय के 17.04.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

नई दिल्ली में एफ. ए. ओ. (ओ. एस.) (कम.) 2017 का सं. 85 और 2017 का सी. एम. सं. 14229-14300।

शांति भूषण, जतिंदर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , कामिनी जयसवाल, संजीव

दुबे, रोहित कुमार सिंह, सुश्री रानी मिश्रा, जतिंदरपाल सिंह, राजमंगल कुमार, सुश्री श्रुति दत्त, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

कपिल सिब्बल, सी. एस. वैद्यनाथन, के. वी. विश्वनाथन, अमित सिब्बल,

श्री एड. अमित भंडारी, अनीश दयाल, डॉ. सैफ महमूद, सुमंत डे, अदित एस. पुजारी, अभिषेक कौशिक, विनय त्रिपाठी, अमरेंद्र कुमार मेहता, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. भानुमति, जे. 1. छुट्टी दे दी गई। 2. यह अपील दिनांकित 17.04.2017 पारित निर्णय से उत्पन्न होती है।

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2017 के एफ. ए. ओ. (ओ. एस.) (सी. ओ. एम. एम.) No.85 में और जिसके द्वारा खंड पीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश को खारिज करने की पुष्टि की।

मध्यस्थता और सुलह की धारा 8 के तहत दायर आवेदन अधिनियम, 1996 ('अधिनियम') में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पक्षों के बीच समझौते दिनांकित मूल समझौते से परस्पर संबंधित नहीं हैं और इसलिए, सुकन्या होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड में निर्णय के अनुसार पक्षों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जा सकता है। जयेश एच. पांड्या और एक अन्य (2003) 5 एससीसी 531।

3. जिन संक्षिप्त तथ्यों के कारण यह अपील दायर की गई, वे इस प्रकार हैंः 01.02.2012 पर, पहला उत्तरदाता-ऋषभ एंटरप्राइजेज (

' ऋषभ '), दूसरे प्रतिवादी डॉ. ए. एम. सिंघवी की एकमात्र स्वामित्व वाली संस्था ने मैसर्स जूवी इंडिया रिन्यूएबल एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ दो समझौते किए। लिमिटेड (जूवी इंडिया) अर्थात्ः - (i) बिजली उत्पादन उपकरणों की खरीद के लिए उपकरण और सामग्री आपूर्ति अनुबंध ₹1,730/- और (ii) सौर संयंत्र की स्थापना और चालू करने के लिए इंजीनियरिंग, स्थापना और चालू करने का अनुबंध ₹2,270/- के लिए। इन दोनों समझौतों में मध्यस्थता खंड शामिल है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. पहला उत्तरदाता-ऋषभ ने बिक्री और खरीद में प्रवेश किया

सी. आई. एस. खरीदने के लिए दूसरी अपीलकर्ता कंपनी-एस्टनफील्ड रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड (एस्टनफील्ड) के साथ दिनांकित समझौता

फोटोवोल्टिक उत्पादों को अपीलकर्ता संख्या 3-दांते एनर्जी को पट्टे पर दिया जाएगा

प्रा. लिमिटेड (दांते एनर्जी) उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के रक्सा के डोंगरी में सौर संयंत्र में स्थापित किया जाएगा। समझौते के अनुसार, इन उत्पादों का मूल्य Rs.25,16,00,000/- के लिए था। दूसरे अपीलार्थी एस्टनफील्ड ने ऋषभ द्वारा जारी किए गए विभिन्न चेकों के तहत उत्तरदाताओं से Rs.21,40,49,999/- प्राप्त किया। 05.03.2012 दिनांकित इस समझौते में मध्यस्थता खंड शामिल नहीं है। अपीलार्थियों के अनुसार, डॉ. ए. एम. सिंघवी के बेटों को नकद रूप से <आई. डी. 1, <आई. डी. 3/- यानी श्री अविष्कार सिंघवी को रु. <आई. डी. 2,000/- और श्री अनुभव सिंघवी को रु. <आई. डी. 4,000/- का भुगतान किया गया। ऋषभ और दांते ऊर्जा के बीच दिनांक 14.03.2012 का एक उपकरण पट्टा समझौता (ELA) किया गया था, जिसके तहत दांते ऊर्जा ने मार्च, 2012 के लिए पट्टे के किराए के रूप में ऋषभ Rs.13,50,000/- का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की थी और अप्रैल, 2012 के बाद से देय उक्त किराया Rs.28,26,000/- था। झाँसी में सौर संयंत्र है

16.03.2012 पर चालू और सक्रिय।

5. समझौतों का सार इस प्रकार हैः

एस. नं. अनुबंध की तिथि। उद्देश्य

आर्बिट्रेशन

अनुबंध पार्टी

अनुबंध

सम

झौता

(i) ऋषभ दोनों समझौतों को खरीदेगा।

01.02.2012 ऋषभ

1 .

उत्पन्न करने में

मध्यस्थता शामिल है

उद्यम

शक्ति

उपकरण

दो में प्रवेश किया

खंड

पार्टियाँ

के साथ समझौते

माना

कि सीट

रु. 8,89,80,730 /

मध्यस्

थता का होगा

एम/एस। जूवी इंडिया

बम्बई

में रहें

नवीनीकरण योग्य

((ii) इंजीनियरिंग, स्थापना

एनर्जीज प्रा. लि.

और आयोग का

झांसी में संयंत्र

रु. 2,20,19,270 /

ऋषभ ने प्रवेश किया (i) खरीद

2 .

05.03.2012

सी. आई.

एस. यह

समझौता

फोटोवोल्टिक उत्पादों को

शामि

ल नहीं है

सहमति में

एम/एस के साथ। एस्टन

दांते को पट्टे पर दिया जाए

मध्यस्

थता खंड।

ऊर्जा (अपीलार्थी सं. 3)

रिन्यूएबल्स प्रा.

लिमिटेड (अपीलार्थी)

सौर ऊर्जा के लिए

झांसी में स्थापित संयंत्र

नहीं। 2)

Rs.21,40,49,999 /

टी 3.

ऋषभ ने दांते में प्रवेश किया और यह भुगतान करने के लिए सहमत हो

गया

14.03.2012

समझौता

इसमें

शामिल हैं

Rs.13,50,000/- पट्टे के किराए के

रूप में

सहमति में

एम/एस के साथ। दांते

उपकरणों के लिए

मध्यस्थता खंड।

एनर्जी प्रा. लि.

मार्च, 2012 से

दलों ने सहमति व्यक्त की है

(अपीलार्थी सं. 3)

अप्रैल, 2012 के बाद,

उस सीट पर मध्यस्थता होगी

Rs.28,26,000/- प्रति माह।

बम्बई में।

अमित लालचंद शाह बनाम। ऋषभ एंटरप्राइजेज [आर. भानुमती, जे.]

उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 2016 की सी. डब्ल्यू. पी. No.619 वाली रिट याचिका दायर की है जिसमें उक्त एफ़. आई. आर. को रद्द करने की मांग की गई है जो अदालत में विचाराधीन है। आयकर अधिकारियों द्वारा भी डॉ. ए. एम. सिंघवी के बेटों को पैसे हस्तांतरित करने के संबंध में अपीलकर्ताओं से स्पष्टीकरण मांगा गया था, अर्थात श्री अविष्कार सिंघवी को 1,000 रुपये और श्री अनुभव सिंघवी को 000 रुपये। अपीलार्थी नं. 1-डॉ. ए. एम. सिंघवी के बेटों को उक्त धन के हस्तांतरण के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने के लिए आयकर अधिकारियों द्वारा अमित लालचंद शाह को तलब किया गया था। 7. पक्षों के बीच विवाद के कारण, अपीलकर्ता संख्या 3-दांते एनर्जी ने मध्यस्थता खंड का आह्वान करते हुए दिनांक 13.02.2016 पर नोटिस जारी किया और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सुजाता मनोहर को मध्यस्थ के रूप में नामित किया। ऋषभ और उसके एकमात्र मालिक ने इससे पहले 2016 का सिविल सूट (वाणिज्यिक) No.195 पसंद किया था।

धोखाधड़ी और गलत निरूपण सहित विभिन्न आरोप लगाने वाले सभी अपीलार्थियों के खिलाफ 11.03.2016 पर उच्च न्यायालय। मुकदमे में, कई राहतों का दावा किया गया थाः - (i) उस घोषणा के लिए कि बिक्री और खरीद समझौता दिनांक 05.03.2012; उपकरण और सामग्री आपूर्ति अनुबंध, इंजीनियरिंग, स्थापना और चालू करने का अनुबंध दोनों दिनांकित हैं।

जिसे अपीलार्थी संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं उत्तरदाताओं; (iii) समझौते की तारीख से 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से Rs.32,22,80,288/- की उपरोक्त राशि पर ब्याज के रूप में Rs.19,31,74,804/- की राशि का भुगतान करना। 01.02.2012 प्राप्ति की तारीख तक; और (iv) पट्टे के किराए के बकाया का भुगतान करना।

8. मुकदमे में नोटिस और समन प्राप्त होने पर, अपीलार्थी/[2018] 6 एस. सी. आर.

यह तर्क देते हुए कि मुकदमा इस घोषणा के लिए है कि समझौतों को धोखाधड़ी और गलत तरीके से प्रस्तुत करने के कारण दूषित किया गया है और इस प्रकार, मामले को मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जा सकता है। यह आगे कहा गया कि मुकदमा न तो जुवी इंडिया के साथ दिनांकित समझौते के बारे में चिंतित है और न ही उपकरण पट्टा समझौते (14.03.2012) के बारे में चिंतित है; जबकि मुकदमा अपीलकर्ता अमित लालचंद शाह और दांते एनर्जी द्वारा किए गए झूठे आश्वासनों और धोखाधड़ी के बारे में चिंतित है, जिसके बारे में एक आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया है और इसलिए, विवाद मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं है। 9. विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 15.03.2017 के आदेश द्वारा अधिनियम की धारा 8 के तहत दायर आवेदन को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि ऋषभ और दांते एनर्जी के बीच उपकरण पट्टा समझौता (14.03.2012)

इसे मूल/प्रमुख समझौते और समझौतों के रूप में नहीं माना जा सकता है

उत्तरदाताओं और एस्टनफील्ड और जूवी इंडिया के बीच के अनुबंध को सहायक समझौते नहीं कहा जा सकता है। विद्वान एकल न्यायाधीश आगे

अभिनिर्धारित किया कि न केवल प्रत्यर्थी अपीलार्थियों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हैं, बल्कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी पर धोखाधड़ी, छिपाने और धोखाधड़ी का भी आरोप लगाते हैं।

भौतिक तथ्यों का दमन और यह कि उत्तरदाताओं द्वारा दायर शिकायत के आधार पर एक आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया था और आयकर अधिकारियों द्वारा हस्तांतरण के संबंध में जांच भी की गई थी

Rs.10,00,00,000/- डॉ. ए. एम. सिंघवी के बेटों को और जब पक्षों के बीच ऐसे गंभीर मुद्दे होते हैं, तो उन्हें मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जा सकता है।

10. आवेदन खारिज होने से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने खंड पीठ के समक्ष अपील की जिसे खारिज कर दिया गया। डिवीजन बेंच ने अधिनियम की धारा 8 और धारा 45 के बीच और अमित लालचंद शाह बनाम को संदर्भित करने के बाद भाषा में अंतर की ओर इशारा किया।

ऋषभ एंटरप्राइजेज [आर. भानुमति, जे.]

क्लोरो कंट्रोल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम। सेवर्न ट्रेंट वाटर प्यूरीफिकेशन इंक. और अन्य (2013) 1 एससीसी 641 ने देखा कि सुकन्या होल्डिंग्स को खारिज नहीं किया गया था। डिवीजन बेंच ने आगे बताया कि कि धारा 8 के तहत लाए गए संशोधन के बावजूद, चूंकि मुख्य/मूल समझौते-बिक्री और खरीद समझौते (05.03.2012) में मध्यस्थता खंड नहीं है, इसलिए मामले को मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जा सकता है। ए. अय्यासामी बनाम का उल्लेख करने के बाद। ए. परमशिवम और अन्य (2016) 10 एस. सी. सी. 386, खंड पीठ ने कहा कि धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों को देखते हुए, इस तरह के विवाद के मध्यस्थता को बाहर रखा गया है।

11. हमने अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील श्री शांति भूषण और प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल को सुना है। प्रतिद्वंद्वी पर विचार करने पर

प्रस्तुतियाँ, इस अपील में विचार के लिए निम्नलिखित बिंदु उत्पन्न होते हैंः

1. चाहे वे चारों समझौते हों। – (i) ऋषभ और जुवि इंडिया के बीच उपकरण और सामग्री आपूर्ति अनुबंध (01.02.2012); (ii) ऋषभ और जुवि इंडिया के बीच इंजीनियरिंग, स्थापना और चालू करने का अनुबंध (01.02.2012); (iii) ऋषभ और एस्टनफील्ड के बीच बिक्री और खरीद समझौता (05.03.2012); और (iv) उपकरण पट्टा समझौता।

(14.03.2012) ऋषभ और दांते के बीच ऊर्जा पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए आपस में जुड़ी हुई है, हालांकि बिक्री और खरीद समझौते में कोई मध्यस्थता खंड नहीं है

(05.03.2012) ऋषभ और एस्टनफील्ड के बीच?

2. क्या मध्यस्थता के लिए पक्षों के बीच विवाद के संदर्भ को वाद में प्रत्यर्थियों द्वारा अपीलार्थियों के खिलाफ लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों के आधार पर अस्वीकार किया जाना चाहिए या क्या समझौतों को अय्यासामी मामले में "व्यावसायिक प्रभाव की भावना के साथ" पक्षों के वाणिज्यिक उपक्रम के रूप में लिया जाना चाहिए?

12. सबसे पहले, ऋषभ ने जुवी इंडिया के साथ दो समझौते किए जिनकी तारीख 01.02.2012 थीः - (i) उपकरण और सामग्री आपूर्ति अनुबंध; और (ii) इंजीनियरिंग, स्थापना और चालू करने का अनुबंध। सबसे पहले समझौता-उपकरण और सामग्री आपूर्ति अनुबंध (01.02.2012) में मध्यस्थता खंड (खंड 19.4) शामिल है। दूसरा समझौता -

इंजीनियरिंग, स्थापना और चालू अनुबंध (01.02.2012) में भी मध्यस्थता खंड (खंड 25) शामिल है। ऋषभ और एस्टनफील्ड के बीच Rs.25,16,00,000/- के लिए बिक्री और खरीद समझौता (05.03.2012) [2018] 6 एस. सी. आर. करता है।

इसमें मध्यस्थता खंड शामिल नहीं है। चौथा समझौता ऋषभ और दांते के बीच उपकरण पट्टा समझौता (14.03.2012) है।

ऊर्जा में मध्यस्थता खंड (खंड 29) शामिल है। सभी चार समझौतों का सावधानीपूर्वक अवलोकन जो हैः - (i) उपकरण और सामग्री आपूर्ति अनुबंध; (ii) इंजीनियरिंग, स्थापना और चालू करने का अनुबंध; (iii) बिक्री और खरीद समझौता; और (iv) उपकरण पट्टा समझौते से पता चलता है कि सभी चार समझौते उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के रक्सा के डोंगरी में 2 एम. डब्ल्यू. पी. के फोटोवोल्टिक सौर संयंत्र को चालू करने के लिए थे, जिसे ऋषभ द्वारा खरीदा जाना था और उपकरणों को दांते ऊर्जा को पट्टे पर दिया जाना था।

13. वादपत्र में किए गए कथन भी प्रथम दृष्टया इंगित करते हैं कि सभी चार समझौते आपस में जुड़े हुए हैं और अपीलार्थी संख्या 1-अमित लालचंद शाह को दोनों का प्रवर्तक और नियंत्रक व्यक्ति बताया गया है।

एस्टनफील्ड के साथ-साथ दांते एनर्जी। हम उपयोगी रूप से वाद में प्रासंगिक कथनों का उल्लेख कर सकते हैं जो नीचे दिए गए हैंः

" प्रतिवादी नं. 1, श्री अमित लालचंद शाह हैं।

प्रतिवादी सं. का प्रवर्तक। 2 और 3 कंपनियाँ।

अपनी अन्य समूह कंपनियों के माध्यम से, प्रतिवादी नंबर 1 भी प्रतिवादी नंबर 1 का नियंत्रक शेयरधारक है। 2 और 3. वह उक्त के दिन-प्रतिदिन के मामलों को चलाने में शामिल है।

कंपनियाँ चल रही हैं। वह सह-संस्थापक और सह-संस्थापक हैं। "एस्टनफील्ड समूह" के अध्यक्ष जिसमें भारत के बाहर और भारत में निगमित विभिन्न कंपनियाँ शामिल हैं

(www.astonfield.com)। प्रतिवादी संख्या 1 गंभीर धोखाधड़ी के पीछे मुख्य मस्तिष्क है जो वादी और इस मुकदमे के लिए अन्य सभी प्रतिवादियों के प्रथम दान, मन, शरीर, आत्मा और नियंत्रक इकाई पर कायम रहा है। यदि इस माननीय न्यायालय द्वारा निगमित पर्दा हटा लिया जाता है (और यह निगमित पर्दा उठाने के लिए एक उपयुक्त मामला है), तो यह पाया जाएगा कि यह वास्तव में प्रतिवादी संख्या 1 है।

केवल वही अन्य सभी प्रतिवादियों के पीछे वास्तविक इकाई है और यह उसके निर्देश पर है कि अन्य लोगों ने संबंधित लेन-देन में अपनी-अपनी भूमिका निभाई है और/या भाग लिया है।

इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या 1 भी प्रतिवादी संख्या की ओर से वादी के साथ पत्राचार कर रहा है। 2 और 3. ..... उक्त प्रतिवादी संख्या 1 भी दिन को चलाने के लिए जिम्मेदार है

उनके निर्देश पर चलने वाली इस कंपनी के दिन के मामले अमित लालचंद शाह बनाम।

ऋषभ एंटरप्राइजेज [आर. भानुमति, जे.]

और वादी के साथ खरीद समझौता, लेन-देन जिसके तहत गंभीर धोखाधड़ी से दूषित हो जाता है। ....

हालांकि दो समझौते हैं, बिक्री और खरीद समझौते (05.03.2012) और उपकरण पट्टे के लिए अलग-अलग पक्ष

समझौता (दांते ऊर्जा) एक ही है। हालाँकि जूवी इंडिया प्रतिवादी नहीं है, जैसा कि चर्चा की गई इन्फ्रा, उपकरण और सामग्री आपूर्ति अनुबंध और इंजीनियरिंग, जूवी इंडिया के साथ स्थापना और चालू करने का अनुबंध स्वयं उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के रक्सा के डोंगरी में फोटोवोल्टिक सौर संयंत्र को चालू करने के उद्देश्य से था।

14. ऋषभ और जुवी इंडिया के बीच उपकरण और सामग्री आपूर्ति अनुबंध (01.02.2012) के खंड स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि ऋषभ ने दांते ऊर्जा के साथ पट्टा समझौता किया है और ऋषभ ने फोटोवोल्टिक उत्पादों/पैनलों आदि और इसी तरह के सौर ऊर्जा उत्पादन उपकरणों को स्रोत बनाने का प्रस्ताव किया है ताकि उन वस्तुओं को दांते ऊर्जा को पट्टे पर दिया जा सके। उक्त उपकरण और सामग्री आपूर्ति अनुबंध में निम्नलिखित खंड दांते ऊर्जा के साथ मुख्य पट्टा समझौते के साथ उपकरण और सामग्री आपूर्ति अनुबंध के संबंध को स्पष्ट रूप से स्थापित करेंगेः

" यह उपकरण और सामग्री आपूर्ति अनुबंध के बीच है

और जुवी इंडिया रिन्यूएबल एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड

' आपूर्तिकर्ता ')

जबकिः

उ. ग्राहक (ऋषभ) मेसर्स दांते एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ पट्टा समझौता कर रहा है। लिमिटेड ('पट्टेदार') और पट्टेदार (दांते एनर्जी) के पास डोंगरी, रक्सा, जिला-झांसी, उत्तर प्रदेश (संयंत्र स्थल) में 2 एम. डब्ल्यू. पी. के पतले फिल्म फोटोवोल्टिक सौर संयंत्र के विकास, स्वामित्व, संचालन और व्यावसायिक रूप से दोहन के लिए आवश्यक प्राधिकरण हैं, बिजली संयंत्र से ग्रिड सबस्टेशन तक संचरण लाइन, ग्रिड सबस्टेशन पर बे विस्तार कार्य, जिसमें [2018] 6 एस. सी. आर. पर बिजली उत्पादन उपकरण को वितरण/संचरण ग्रिड से जोड़ने के लिए आवश्यक सभी बुनियादी ढांचे और प्रासंगिक प्रतिष्ठान शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश, भारत में ग्रिड सबस्टेशन ('सुविधा')।

ख. ग्राहक (ऋषभ) ने ग्राहक (ऋषभ) को माल की बिक्री के लिए फोटोवोल्टिक उत्पाद/पैनल, इनवर्टर, ट्रांसफॉर्मर और इसी तरह के सौर ऊर्जा उत्पादन उपकरण आदि का स्रोत बनाने का प्रस्ताव रखा है और ग्राहक (ऋषभ) इन सामानों को मेसर्स दांते एनर्जी को पट्टे पर देगा।

प्रा. लिमिटेड (पट्टेदार)।

ग. ग्राहक (ऋषभ) सौर पार्क के विकास के संबंध में उपकरण (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) और सामग्री की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता (जूवी इंडिया) को संलग्न करना चाहता है।

डी. मेसर्स दांते एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (पट्टेदार) को ग्राहक (ऋषभ) द्वारा प्राप्त की जाने वाली संबंधित वस्तुओं का निरीक्षण करने का अधिकार होगा और मेसर्स दांते एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (पट्टेदार) से पुष्टि के आधार पर, संबंधित वस्तुओं को ग्राहक (ऋषभ) द्वारा मेसर्स दांते एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (पट्टेदार) को आगे की बिक्री के लिए खरीदा जाएगा और उन्हें परियोजना स्थल पर भेजा जाएगा।

ई. आपूर्तिकर्ता (जूवी इंडिया) ग्राहक (ऋषभ) को उपकरण और सामग्री की आपूर्ति करने के लिए समग्र है।

इस अनुबंध की शर्तों के अनुसार।

15. इसी तरह, ऋषभ और जूवी इंडिया के बीच इंजीनियरिंग, स्थापना और चालू करने के अनुबंध के लिए समझौते में खंड

(01.02.2012) यह भी स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि समझौता उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के रक्सा के डोंगरी में फोटोवोल्टिक सौर संयंत्र को चालू करने के उद्देश्य से किया गया था। ऋषभ ने मेसर्स दांते एनर्जी (पट्टेदार) के साथ उपकरण पट्टा समझौते में जो समझौता किया है, उसका खंड (ए) दोहराता है कि इंजीनियरिंग, स्थापना और चालू करने के लिए जुवी इंडिया के साथ दूसरा समझौता उपकरण पट्टा समझौते (14.03.2012) के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। समझौते में प्रासंगिक खंड निम्नानुसार हैं:

" यह इंजीनियरिंग, स्थापना और कमीशनिंग

अनुबंध समझौता के बीच है

मेसर्स ऋषभ एंटरप्राइजेज. ('ग्राहक')

और जुवी इंडिया रिन्यूएबल एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड

लिमिटेड ([लालचंद शाह बनाम। ऋषभ एंटरप्राइजेज [आर. भानुमती, जे.]ट्रैक्टर ')

आसानः

. ग्राहक (ऋषभ) कुछ वस्तुओं का मालिक होता है।

फोटोवोल्टिक उत्पाद/पैनल, इन्वर्टर,

ट्रांसफॉर्मर और इसी तरह की सौर ऊर्जा उत्पादन उपकरण आदि और एक उपकरण में प्रवेश कर रहा है

मैसर्स दांते एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ पट्टा समझौता। लि.

(पट्टेदार)।

. पट्टेदार (दांते ऊर्जा) की आवश्यकता है

विकास, स्वामित्व, संचालन और व्यावसायिक रूप से ए 2 एम. डब्ल्यू. पी. पतली-फिल्म फोटोवोल्टिक का उपयोग करें

डोंगरी, रक्सा, जिला-झांसी, उत्तर प्रदेश (संयंत्र स्थल) में सौर संयंत्र, बिजली संयंत्र से ग्रिड सबस्टेशन तक पारेषण लाइन, ग्रिड सबस्टेशन पर बे विस्तार कार्य, जिसमें बिजली उत्पादन उपकरण को ग्रिड सबस्टेशन पर वितरण/पारेषण ग्रिड से जोड़ने के लिए आवश्यक सभी बुनियादी ढांचे और प्रासंगिक प्रतिष्ठान शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश, भारत ('सुविधा')।

ग्राहक (ऋषभ) पट्टेदार (दांते ऊर्जा) को पट्टे पर देने के लिए पट्टेदार (दांते ऊर्जा) की आवश्यकता के अनुसार ग्राहक के उपकरण खरीदने का प्रस्ताव रखता है।

पट्टेदार (दांते ऊर्जा) को डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण, निर्माण, परीक्षण के लिए सेवाओं की आवश्यकता होती है।

सुविधा को चालू करना और ग्राहक (ऋषभ) को सौंपना और तदनुसार ग्राहक (ऋषभ) ने

सक्षम ठेकेदार (जूवी) की पहचान करने पर सहमति व्यक्त की

भारत) उपरोक्त कार्य करने के लिए।

ठेकेदार (जूवी इंडिया) ने ग्राहक (ऋषभ) और पट्टेदार (दांते एनर्जी) को बताया है कि ठेकेदार (जूवी इंडिया) के पास अपेक्षित अनुभव है।

कार्य करने के लिए विशेषज्ञता, संसाधन और कौशल

डिजाइन इंजीनियरिंग, निर्माण, निर्माण, परीक्षण, चालू करने और सुविधा को सौंपने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियों और सेवाओं का प्रदर्शन करना और तकनीकी [2018] 6 एस. सी. आर. के जवाब में ग्राहक (ऋषभ) को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ग्राहक (ऋषभ) द्वारा निर्धारित विनिर्देश।

च. ठेकेदार (जूवी इंडिया) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर

और ठेकेदार के अभ्यावेदन पर भरोसा करना और

यहाँ वारंटी, और पट्टेदार (दांते ऊर्जा) की सहमति और अनुमोदन पर, ग्राहक (ऋषभ) इच्छा करता है

ठेकेदार (जूवी इंडिया) को नियुक्त करने के लिए

सेवाएं और (ग्राहक की खरीद को छोड़कर)

उपकरण) सभी गतिविधियों और सेवाओं को करने के लिए

डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण के लिए आवश्यक,

स्थापना, परीक्षण, चालू करना और सौंपना

सुविधा और ठेकेदार (जूवी इंडिया) सहमत हो गए हैं ऐसी नियुक्ति के लिए और ऐसे अन्य कार्य करने के लिए

इस अनुबंध में उल्लिखित कर्तव्यों और दायित्वों।

समझौते की शुरुआत में उपरोक्त खंड

जुवी इंडिया दिनांकित 01.02.2012 के साथ स्पष्ट रूप से बताएँ कि समझौता स्वयं

यह उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के रक्सा के डोंगरी में फोटोवोल्टिक सौर संयंत्र को चालू करने के उद्देश्य से था, जिसके लिए दांते ऊर्जा (पट्टेदार) के पास आवश्यक प्राधिकरण हैं। में उपरोक्त खंड उद्धृत किए गए हैं

इंजीनियरिंग, स्थापना और चालू करने का अनुबंध (01.02.2012) यह स्थापित करता है कि यह समझौता दांते एनर्जी के साथ उपकरण पट्टा समझौते (14.03.2012) के साथ जुड़ा हुआ है।

16. समान रूप से, बिक्री और खरीद समझौता (05.03.2012)

मेसर्स एस्टनफील्ड और ऋषभ के बीच भी आगे बढ़ने के उद्देश्य से है

दांते ऊर्जा को माल का पट्टा देना जैसा कि निम्नलिखित खंडों से देखा जा सकता है:

" बिक्री और खरीद समझौता

एस्टनफाइल रिन्यूएबल प्रा. लि. लिमिटेड. (विक्रेता) और ऋषभ

उद्यम. (खरीदार) बेचने और खरीदने के लिए सहमत हैं।

निम्नलिखित उत्पाद, जो पट्टे पर देने के लिए आवश्यक हैं खरीदार (ऋषभ) द्वारा दांते एनर्जी प्राइवेट को सामान

(पट्टेदार) नियमों और शर्तों के तहत

सीमित। नीचे वर्णित (लेन-देन), पिछली तारीख से प्रभावी

नीचे हस्ताक्षर करें (प्रभावी तिथि):

1. खरीदारः ऋषभ एंटरप्राइजेज

2. विक्रेताः एस्टनफील्ड रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड

3. लेन-देनः पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि यह लेन-देन अमित लालचंद शाह बनाम होगा।

ऋषभ एंटरप्राइजेज [आर. भानुमती, जे.]

इस बिक्री और खरीद समझौते और इसके द्वारा शासित

व्यय।

इस समझौते के तहत उत्पादों का उपयोग उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के रक्सा के डोंगरी में पट्टेदार (दांते ऊर्जा) द्वारा स्थापित की जा रही 2 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर पी. वी. बिजली परियोजना के लिए किया जाएगा।

(पादप स्थल)
खरीदार (ऋषभ) पट्टेदार (दांते एनर्जी) को आपूर्ति/पट्टे पर देने के लिए उपरोक्त वस्तुओं की खरीद कर रहा है। पट्टेदार (दांते ऊर्जा) को संबंधित वस्तुओं का निरीक्षण करने का अधिकार होगा और पट्टेदार (दांते ऊर्जा) से पुष्टि के आधार पर, संबंधित वस्तुओं को खरीदार (ऋषभ) द्वारा पट्टेदार (दांते ऊर्जा) को आगे की बिक्री के लिए खरीदा जाएगा और परियोजना स्थल पर भेजा जाएगा।

हालांकि बिक्री और खरीद समझौते (05.03.2012) में कोई मध्यस्थता खंड नहीं है, उपरोक्त खंडों के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से मुख्य समझौते-उपकरण पट्टा समझौते (14.03.2012) से जुड़ा हुआ है। एस्टनफील्ड और एस्टन के बीच बिक्री और खरीद समझौता हुआ था। ऋषभ केवल ऋषभ द्वारा दांते एनर्जी को माल के पट्टे पर देने के उद्देश्य से। इस तर्क में कोई योग्यता नहीं है कि बिक्री और खरीद समझौता इससे जुड़ा नहीं है

दांते ऊर्जा के साथ उपकरण पट्टा समझौता।

17. ऋषभ और दांते एनर्जी के बीच उपकरण पट्टा समझौता (14.03.2012) केवल उपरोक्त तीनों समझौतों का अनुवर्ती है जैसा कि उपकरण पट्टा समझौते के विभिन्न खंडों से स्पष्ट है। उपकरण पट्टा समझौते (14.03.2012) के प्रासंगिक खंड हैं -

निम्नानुसारः

" उपकरण पट्टा समझौता

मेसर्स ऋषभ एंटरप्राइजेज... (लेसर) और मेसर्स दांते एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड (पट्टेदार) 2 एम. डब्ल्यू. पी. स्थापित कर रहा है।

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के रक्सा के डोंगरी में ग्रिड से जुड़ी सौर पी. वी. बिजली परियोजना (संयंत्र स्थल)।

जबकि छोटा (ऋषभ) कुछ का मालिक होता है। फोटोवोल्टिक उत्पाद/पैनल, इन्वर्टर, ट्रांसफॉर्मर और

समान सौर ऊर्जा उत्पादन उपकरण आदि (यहाँ)

"उपकरण" के रूप में संदर्भित), विशेष रूप से यहाँ लिखित पहली अनुसूची में वर्णित है।

और जबकि पट्टेदार (दांते ऊर्जा) आवश्यक है

विकास, स्वामित्व, संचालन और व्यावसायिक रूप से दोहन के लिए प्राधिकरण

साइट पर 2 मेगावाट का पतला फिल्म फोटोवोल्टिक सौर संयंत्र ("एसपीवाई पावर प्लांट"), बिजली संयंत्र से ग्रिड सबस्टेशन तक पारेषण लाइन, ग्रिड सबस्टेशन पर बे विस्तार कार्य, जिसमें बिजली उत्पादन उपकरण को वितरण/पारेषण से जोड़ने के लिए आवश्यक सभी बुनियादी ढांचे और प्रासंगिक प्रतिष्ठान शामिल हैं।

झांसी, उत्तर प्रदेश, भारत में ग्रिड सबस्टेशन पर ग्रिड

दूसरी अनुसूची ("सुविधा") में निर्दिष्ट और इस उद्देश्य के लिए, उन्हें उपकरणों की आवश्यकता है जैसा कि में उल्लेख किया गया है

और जबकि पट्टेदार (दांते ऊर्जा) की इच्छा है पहली अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित उपकरणों की निर्दिष्ट प्रकृति को पट्ट पर पट्टेदार (ऋषभ) से प्राप्त करना।

इसके तहत लिखा गया है कि उसने पट्टेदार (ऋषभ) से संपर्क किया है और पट्टेदार (ऋषभ) से अनुरोध किया है कि वह पट्टेदार (दांते ऊर्जा) को इसमें निहित/निर्दिष्ट शर्तों, समझौतों और शर्तों पर उपकरण पट्टे पर दे।

अनुच्छेद 4 वितरण, शुरुआत और वितरणः

(i) यह पट्टेदार (दांते ऊर्जा) और पट्टेदार (ऋषभ) द्वारा स्पष्ट रूप से समझा जाता है कि वर्तमान मामले में, संबंधित

उपकरण महाराष्ट्र राज्य में स्थित सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूलर के आपूर्तिकर्ता यानी एस्टनफील्ड रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड और कर्नाटक राज्य में इनवर्टर, ट्रांसफॉर्मर आदि जैसे अन्य सौर ऊर्जा उत्पादन उपकरणों के आपूर्तिकर्ता यानी जुवि इंडिया रिन्यूएबल से प्राप्त किए जा रहे हैं। एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड। इन वस्तुओं का परीक्षण पट्टेदार (दांते ऊर्जा) द्वारा किया गया है और इन्हें इसके वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपयुक्त पाया गया है।

((ii) इस पट्टा समझौते के अनुसार, संबंधित उपकरण,

पट्टेदार (ऋषभ) द्वारा संबंधित आपूर्तिकर्ता से खरीदा जाएगा और तदनुसार, उपकरण सीधे उत्तर प्रदेश राज्य में परियोजना स्थल पर भेजे जाएंगे।

तदनुसार, वर्तमान मामले में, संबंधित की डिलीवरी

ए. एम. ई. टी. एल. ए. एल. सी. एच. एच. वी. के समर्थन से उपकरण प्रभावित होंगे।

ऋषभ एंटरप्राइजेज [आर. भानुमती, जे.]

लेसर (ऋषभ) द्वारा लेसी (दांते ऊर्जा) के पक्ष में खेप नोट।

(v) चाहे डिलीवरी कैसे और किसके द्वारा की जाती है, यह इस बात पर सहमत है कि उक्त डिलीवरी और इंस्टॉलेशन से संबंधित पूरा जोखिम, लागत या कोई भी आउटगोइंग लीसर (ऋषभ) की कीमत और जोखिम पर होगा। ”

उपरोक्त निकाले गए खंड स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि सभी चार समझौते आपस में जुड़े हुए हैं। उपकरण पट्टा समझौते के अनुच्छेद 4 में खंड (v) है कि वितरण और स्थापना लागत पर होगी और

ऋषभ (लेसर) का जोखिम स्पष्ट रूप से ऋषभ और जुवी इंडिया के बीच इंजीनियरिंग, स्थापना और कमीशनिंग अनुबंध से जुड़ा हुआ है।

18. उच्च न्यायालय ने सुकन्या होल्डिंग्स पर निर्भरता रखी

अधिनियम की धारा 8 के तहत दायर आवेदन को खारिज करना। सुकन्या होल्डिंग्स में, साझेदारी फर्म और खातों को भंग करने के लिए मुकदमा दायर किया गया था और अन्य बातों के साथ-साथ साझेदारी फर्म द्वारा मेसर्स वेस्ट एंड जिमखाना लिमिटेड के पक्ष में निष्पादित हस्तांतरण विलेख को चुनौती दी गई थी। अधिनियम की धारा 8 के तहत दायर एक आवेदन का प्रतिवादी संख्या 1 ने यह तर्क देते हुए विरोध किया कि मुकदमे की विषय वस्तु अनुबंध करने वाले पक्षों के बीच नहीं थी और दावा की गई राहत न केवल उत्तरदाता संख्या 1 और 2 के खिलाफ है जो अनुबंध करने वाले पक्ष हैं, बल्कि शेष 23 पक्षों के खिलाफ दावा किया जाता है जो अनुबंध करने वाले पक्ष हैं।

विवादित फ्लैटों के खरीदार/किरायेदार। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि वाद के सभी पक्ष समझौते के पक्षकार नहीं हैं तो मामले को मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जा सकता है क्योंकि अधिनियम में विवाद को आंशिक रूप से मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस न्यायालय ने नोट किया कि खरीदार मध्यस्थता समझौते के पक्षकार नहीं थे और गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं को मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जा सकता है। सुकन्या होल्डिंग्स में पैरा में (15)

और (16), इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 15. धारा 8 में उपयोग की जाने वाली प्रासंगिक भाषा हैः “ ऐसे मामले में जो मध्यस्थता समझौते का विषय है। न्यायालय को पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की आवश्यकता होती है। इसलिए, मुकदमा "एक मामले" के संबंध में होना चाहिए जिसे पक्ष संदर्भित करने के लिए सहमत हुए हैं और जो मध्यस्थता समझौते के दायरे में आता है।

हालाँकि, जहाँ एक मुकदमा "किसी मामले के रूप में" शुरू किया जाता है जो मध्यस्थता समझौते के बाहर है और कुछ [2018] 6 एस. सी. आर. के बीच भी है।

पक्षकार जो मध्यस्थता समझौते के पक्षकार नहीं हैं,

धारा 8 के लागू होने का कोई सवाल ही नहीं है। "एक मामला" शब्द इंगित करते हैं कि मुकदमे का पूरा विषय मध्यस्थता समझौते के अधीन होना चाहिए।

16. अगला प्रश्न जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह है-भले ही विवाद को आंशिक रूप से मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का कोई प्रावधान न हो, क्या अधिनियम की धारा 8 के तहत ऐसा पाठ्यक्रम संभव है। हमारे विचार में, धारा 8 की व्याख्या करना मुश्किल होगा जिसके तहत कार्रवाई के कारण का विभाजन, अर्थात वाद का विषय-वस्तु या कुछ मामलों में पक्षकारों के बीच वाद का विभाजन जो मध्यस्थता समझौते के पक्षकार हैं और अन्य संभव हैं। यह एक पूरी तरह से नई प्रक्रिया होगी जिस पर अधिनियम के तहत विचार नहीं किया गया है। यदि दो भागों में वाद के विषय पर विचार किया गया था, विधायिका ने इस तरह के पाठ्यक्रम की अनुमति देने के लिए उचित भाषा का उपयोग किया होगा। चूँकि भाषा में ऐसा कोई संकेत नहीं है, इसलिए यह माना जाता है कि विषय के विभाजन-न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष लाई गई कार्रवाई के मामले की अनुमति नहीं है।

अधिनियम के भाग-1 में कहा गया है कि वे पक्ष जो मध्यस्थता समझौते (इस मामले में, बिक्री और खरीद समझौते के तहत एस्टनफील्ड) के हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं, उन्हें मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जा सकता है। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि क्लोरो नियंत्रण अधिनियम के भाग-II के तहत उत्पन्न होता है और उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से अलग किया गया था और सुकन्या होल्डिंग्स को क्लोरो नियंत्रण द्वारा खारिज नहीं किया गया था और इसलिए, अपीलकर्ता क्लोरो नियंत्रण पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। यह तर्क दिया गया था कि बिक्री और खरीद समझौता (05.03.2012) जिसके तहत भारी धन को विभाजित किया गया था, वह मुख्य समझौता है जिसमें कोई मध्यस्थता खंड नहीं है जिसे मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि मुकदमे की विषय वस्तु को मध्यस्थता समझौते के पक्षों और अन्य के बीच विभाजित नहीं किया जा सकता है।

20. क्लोरो कंट्रोल्स में, यह न्यायालय दायरे से निपट रहा था

और अधिनियम के भाग-II की धारा 45 की व्याख्या और उस संदर्भ में, प्रासंगिक सिद्धांतों के दायरे पर चर्चा की गई, जिसके आधार पर एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष भी मध्यस्थता समझौते से बाध्य हो सकता है। अधिनियम की धारा 45 के तहत, मध्यस्थता के लिए विवादों के संदर्भ की मांग करने वाला एक आवेदक या तो मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष हो सकता है या कोई भी व्यक्ति जो ऐसे पक्ष के माध्यम से या उसके तहत दावा कर सकता है।

धारा 45 ए. एम. ई. टी. लालचंद शाह वी. का उपयोग करती है। ऋषभ एंटरप्राइजेज [आर. भानुमती, जे.]

अभिव्यक्ति ". किसी एक पक्ष या किसी व्यक्ति के अनुरोध पर उसके माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाले गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष शामिल हैं जिन्हें मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है बशर्ते वे अधिनियम की अनुसूची I के साथ पठित धारा 44 और 45 की आवश्यकताओं को पूरा करते हों। के पैरा (73) में

क्लोरो कंट्रोल्स, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

पार्टी के हस्ताक्षरकर्ता के साथ प्रत्यक्ष संबंध की कसौटी मध्यस्थता समझौता, विषय-वस्तु की प्रत्यक्ष समानता और पक्षों के बीच समझौता एक समग्र समझौता है।

लेन-देन। लेन-देन एक मिश्रित प्रकृति का होना चाहिए जहां सामान्य उद्देश्य और सामूहिक रूप से प्राप्त करने के लिए पूरक या सहायक समझौतों की सहायता, निष्पादन और प्रदर्शन के बिना मातृ समझौते का प्रदर्शन संभव नहीं हो सकता है।

विवाद पर असर डालना। इन सबके अलावा, अदालत को इस बात की जांच करनी होगी कि क्या ऐसे पक्षों का समग्र संदर्भ न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा। एक बार जब यह अभ्यास पूरा हो जाता है और अदालत सकारात्मक रूप से इसका जवाब देती है, तो गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों का संदर्भ भी पूर्व में चर्चा किए गए अपवाद के भीतर आएगा। (रेखांकित करना जोड़ा गया)

21. वर्तमान जैसे मामले में, हालांकि कई पक्षों से जुड़े अलग-अलग समझौते हैं, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, यह एक है

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के रक्सा के डोंगरी में 2 मेगावाट के फोटोवोल्टिक सौर संयंत्र का संचालन करने वाली वाणिज्यिक परियोजना। सौर संयंत्र को चालू करना, जो पक्षों के बीच वाणिज्यिक समझ है और इसे कई समझौतों के माध्यम से प्रभावित किया गया है। समझौता-सौर ऊर्जा को चालू करने के लिए उपकरण पट्टा समझौता (14.03.2012)

संयंत्र प्रमुख/मुख्य समझौता है। ऋषभ ने जुवी इंडिया के साथ दो समझौते किए: - (i) उपकरण और सामग्री आपूर्ति अनुबंध

(01.02.2012) ; और (ii) इंजीनियरिंग, इंस्टालेशन और कमीशनिंग कॉन्ट्रैक्ट (01.02.2012) और एस्टनफील्ड के साथ ऋषभ का बिक्री और खरीद समझौता (05.03.2012) सहायक समझौते हैं जिनके कारण दांते एनर्जी (लेसी) द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के रक्सा के डोंगरी में फोटोवोल्टिक सौर संयंत्र को चालू करने का मुख्य उद्देश्य सामने आया। भले ही, ऋषभ और एस्टनफील्ड के बीच बिक्री और खरीद समझौते (05.03.2012) में मध्यस्थता खंड शामिल नहीं है, यह डोंगरी, रक्सा, जिला [2018] 6 एस. सी. आर. में सौर संयंत्र के चालू होने के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है।

दांते एनर्जी द्वारा झांसी, यू. पी. जूवी इंडिया, हालांकि, मुकदमे में एक पक्ष नहीं है और भले ही, एस्टनफील्ड और अपीलकर्ता नंबर 1-अमित लालचंद शाह मुख्य समझौते के हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं। उपकरण पट्टा समझौता (14.03.2012), यह एक वाणिज्यिक लेनदेन है जो डोंगरी, रक्सा, जिला झांसी, यू. पी. में फोटोवोल्टिक सौर संयंत्र के चालू होने के साथ एकीकृत रूप से जुड़ा हुआ है। यह ध्यान दिया जाए कि अनुच्छेद 4 के खंड (v) के अनुसार, पक्षों ने सहमति व्यक्त की है कि संपूर्ण जोखिम, वितरण और स्थापना की लागत ऋषभ (छोटे) की कीमत पर होगी। यहाँ फिर से, हम दोहरा सकते हैं कि इंजीनियरिंग और स्थापना जुवी इंडिया द्वारा की जानी है।

तथ्यों और पक्षों के इरादे से जो स्पष्ट है वह उपकरणों की खरीद, उपकरणों की बिक्री और खरीद, स्थापना और दांते एनर्जी को उपकरणों को पट्टे पर देना है। विभिन्न समझौतों के पक्षों के बीच विवाद का समाधान सभी चार समझौतों और उन पर पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करके ही किया जा सकता है।

22. ऋषभ और जूवी इंडिया नामक समझौतों के पक्षकारः - (i) उपकरण और सामग्री आपूर्ति समझौता; और (ii) इंजीनियरिंग,

स्थापना और चालू करने का अनुबंध और ऋषभ और एस्टनफील्ड के बीच बिक्री और खरीद समझौते के लिए पक्ष एक और वही हैं जो मुख्य समझौते अर्थात् उपकरण पट्टा समझौते (14.03.2012) में पक्षकारों के हैं। चारों समझौते आपस में जुड़े हुए हैं। यह एक ऐसा मामला है जहां कई पक्ष कई समझौतों/अनुबंधों के माध्यम से निष्पादित एक एकल वाणिज्यिक परियोजना (डोंगरी में सौर संयंत्र) में शामिल हैं। ऐसे मामले में, सभी पक्षों को मुख्य समझौते में मध्यस्थता खंड यानी उपकरण पट्टा द्वारा कवर किया जा सकता है।

समझौता (14.03.2012)। 23. चूँकि जुवी इंडिया और एस्टनफील्ड के साथ ऋषभ के तीनों समझौतों का उद्देश्य फोटोवोल्टिक सौर संयंत्र को चालू करना था

डोंगरी, रक्सा, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश में परियोजना, उच्च न्यायालय का यह कहना सही नहीं था कि बिक्री और खरीद समझौता (05.03.2012) मुख्य समझौता है। हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने तीनों समझौतों के विभिन्न खंडों को ध्यान में नहीं रखते हुए गलती की, जो उन्हें उपकरण पट्टा समझौते (14.03.2012) नामक प्रमुख समझौते का एक अभिन्न अंग बनाते हैं और उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है।

मध्यस्थता और सुलह की धारा 8 में संशोधन

अधिनियम, 1996

24. मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 में अमित लालचंद शाह बनाम है।

अधिनियम की धारा 45 के अनुरूप बनाने के लिए धारा 8 में संशोधन किया गया। सुकन्या होल्डिंग्स में की गई टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए विधि आयोग ने अधिनियम की धारा 8 में संशोधन की सिफारिश की है। 2015 के संशोधन अधिनियम के परिणामस्वरूप, धारा 8 को निम्नानुसार संशोधित किया गया हैः

" 8. पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की शक्ति जहां एक

मध्यस्थता समझौता। - (1) एक न्यायिक प्राधिकारी जिसके समक्ष

एक ऐसे मामले में कार्रवाई की जाती है जो एक मध्यस्थता समझौते का विषय है, यदि मध्यस्थता समझौते का कोई पक्षकार या उसके माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाला कोई व्यक्ति, विवाद के सार पर अपना पहला बयान जमा करने की तारीख के बाद से लागू नहीं होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी अदालत के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद, पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए तब तक संदर्भित किया जाता है जब तक कि यह नहीं पाता है कि प्रथम दृष्टया कोई वैध मध्यस्थता समझौता नहीं है। मौजूद है।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन नहीं होगा

जब तक कि यह मूल मध्यस्थता के साथ न हो, तब तक मनोरंजन किया जाता है।

समझौता या उसकी विधिवत प्रमाणित प्रति

बशर्ते कि जहां मूल मध्यस्थता समझौता या उसकी प्रमाणित प्रति उप-धारा (1) के तहत मध्यस्थता के संदर्भ के लिए आवेदन करने वाले पक्ष के पास उपलब्ध नहीं है, और उक्त समझौता या प्रमाणित प्रति उस समझौते के दूसरे पक्ष द्वारा रखी जाती है, तब, इस प्रकार आवेदन करने वाला पक्ष मध्यस्थता समझौते की एक प्रति और एक याचिका के साथ ऐसा आवेदन दायर करेगा जिसमें न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा कि वह दूसरे पक्ष को मूल मध्यस्थता प्रस्तुत करने के लिए कहे।

उस न्यायालय के समक्ष समझौता या इसकी विधिवत प्रमाणित प्रति।

(3) इसके बावजूद कि उप-धारा (1) के तहत एक आवेदन किया गया है और यह मुद्दा न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष लंबित है, एक मध्यस्थता शुरू की जा सकती है या जारी रखी जा सकती है और एक मध्यस्थ पुरस्कार दिया जा सकता है।

25. " 2015 के संशोधनों द्वारा धारा 8 (1) में मुख्य रूप से चार संशोधन पेश किए गए हैं-(i) प्रासंगिक "पक्ष" जो मध्यस्थता के संदर्भ के लिए आवेदन करने का हकदार है, उसे स्पष्ट किया गया है / मध्यस्थता समझौते में ऐसे पक्ष के माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाले व्यक्तियों को शामिल करने के लिए प्रवर्धित; (ii) न्यायिक प्राधिकरण द्वारा जांच का दायरा इस निष्कर्ष तक सीमित है कि क्या कोई वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है और न्यायिक प्राधिकरण द्वारा जांच की प्रकृति को [2018] 6 एस. सी. आर. के रूप में स्पष्ट किया गया है।

"प्रथम दृष्टया" आधार पर; (iii) धारा 8 के तहत आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि का अर्थ विवाद के सार पर पहला बयान प्रस्तुत करने की "तिथि" के रूप में परिभाषित किया गया है; और (iv) संशोधनों को किसी भी पूर्व न्यायिक मिसाल के बावजूद लागू करने के लिए व्यक्त किया गया है। धारा 8 (2) के प्रावधान को अनुमति देने के लिए जोड़ा गया है।

एक पक्ष जिसके पास मूल या प्रमाणित प्रति नहीं है

दूसरे पक्ष द्वारा इसे बनाए रखने के कारण मध्यस्थता समझौता, फिर भी संदर्भ की मांग करने वाली धारा 8 के तहत आवेदन करने के लिए, और दूसरे पक्ष को इसे प्रस्तुत करने के लिए बुलाने के लिए। (संदर्भः न्यायमूर्ति आर. एस. बचावत

मध्यस्थता और सुलह का कानून, छठा संस्करण, खंड। I (धारा 1 से 34) पृष्ठ 695 पर लेक्सिसनेक्सिस द्वारा प्रकाशित)। 26. अधिनियम, 2015 द्वारा धारा 8 में संशोधन को 246 वें कानून में निर्धारित सिफारिशों की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए।

आयोग की रिपोर्ट। विधि आयोग ने अपनी 246 वीं रिपोर्ट में धारा 8 में संशोधन की सिफारिश करते हुए निम्नलिखित अवलोकन/टिप्पणी कीः

" एल. सी. टिप्पणीः शब्द "पार्टियों के ऐसे।

सुकन्या होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड में उच्चतम न्यायालय के फैसले के संदर्भ में मध्यस्थता समझौते और संशोधन के प्रावधान (i) का प्रस्ताव किया गया है। लिमिटेड वी. जायेश एच. पांड्या और अन्न। (2003) 5 एस. सी. सी. 531,-ऐसे मामलों में जहां विवाद के सभी पक्ष मध्यस्थता समझौते के पक्षकार नहीं हैं, संदर्भ को केवल तभी अस्वीकार किया जाना चाहिए जब ऐसे पक्ष कार्रवाई के लिए आवश्यक पक्षकार हों-और तब नहीं जब वे केवल उचित पक्ष हों, या अन्यथा कार्रवाई के लिए कानूनी अजनबी हों और केवल मध्यस्थता समझौते को दरकिनार करने के लिए जोड़ा गया हो। संशोधन के प्रावधान (ii) में मध्यस्थता के लिए एक लंबित कार्रवाई के संदर्भ की मांग करने वाले आवेदन पर विचार करते समय एक न्यायिक प्राधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली दो-चरणीय प्रक्रिया पर विचार किया गया है। संशोधन में यह परिकल्पना की गई है कि न्यायिक प्राधिकरण पक्षकारों को केवल तभी मध्यस्थता के लिए नहीं भेजेगा जब वह पाएगा कि कोई मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है या यह कि

शून्य और शून्य है। यदि न्यायिक प्राधिकरण की राय है कि प्रथम दृष्टया मध्यस्थता समझौता मौजूद है, तो वह विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करेगा, और मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व को अंततः मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित करने के लिए छोड़ देगा। हालांकि, अगर न्यायिक प्राधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि समझौता मौजूद नहीं है, तो निष्कर्ष अंतिम होगा और प्रथम दृष्टया नहीं। संशोधन में यह भी परिकल्पना की गई है कि अमित लालचंद शाह बनाम के बारे में एक निर्णायक निर्धारण होगा।

ऋषभ एंटरप्राइजेज [आर. भानुमति, जे.]

क्या मध्यस्थता समझौता अमान्य है।
(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके साथ मूल मध्यस्थता समझौता या उसकी विधिवत प्रमाणित प्रति या एक शपथ पत्र के साथ एक प्रति न हो जिसमें दूसरे पक्ष को मूल मध्यस्थता समझौता प्रस्तुत करने के लिए कहा गया हो या ऐसी परिस्थितियों में जहां मूल मध्यस्थता समझौता या विधिवत प्रमाणित प्रति है, विधिवत प्रमाणित न हो।

केवल दूसरे पक्ष द्वारा बनाए रखा गया।
एल. सी. टिप्पणीः सरकारी निकायों और छोटे बाजार खिलाड़ियों से जुड़े कई लेन-देनों में, मध्यस्थता समझौते की मूल/विधिवत प्रमाणित प्रति केवल मध्यस्थ द्वारा ही रखी जाती है। यह

संशोधन यह सुनिश्चित करेगा कि बाद वाला वर्ग उसी के आधार पर किसी भी तरह से पूर्वाग्रहित न हो "(संदर्भः 246 विधि आयोग

रिपोर्ट, भारत सरकार)

27. अधिनियम की धारा 8 में संशोधन की भाषा स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 8 (1) में संशोधन सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य अदालत के किसी भी अनुरोध, निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद लागू होगा।

अन्य न्यायालय। उच्च न्यायालय ने इस शब्द पर जोर दिया ". जब तक कि वह यह नहीं पाता कि प्रथम दृष्टया कोई वैध समझौता मौजूद नहीं है"। उच्च न्यायालय ने कहा कि एस्टनफील्ड और ऋषभ के बीच कोई मध्यस्थता समझौता नहीं है। सुकन्या होल्डिंग्स और अधिनियम की संशोधित धारा 8 और धारा 45 का उल्लेख करने के बाद, उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 8 और धारा 45 की भाषा में अंतर की ओर इशारा किया। उच्च न्यायालय ने

सुकन्या होल्डिंग्स और क्लोरो कंट्रोल्स के बीच अंतर, और यह देखा गया कि सुकन्या होल्डिंग्स को क्लोरो कंट्रोल्स द्वारा रद्द नहीं किया गया था। विवादित फैसले के पैरा (23) में, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः

" 23 ..... धारा 8 में परिवर्तन यह है कि न्यायालय-उन मामलों में जहां मध्यस्थता समझौतों पर भरोसा किया जाता है-वाद में विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करता है, "सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद, पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करता है जब तक कि वह यह न पाए कि प्रथम दृष्टया कोई वैध मध्यस्थता नहीं है। समझौता मौजूद है "। न्यायालय की राय है कि सुकन्या ने स्वयं को खारिज नहीं किया है, क्योंकि इस बात का प्रयोग किया जाना चाहिए कि पक्षकारों के बीच मध्यस्थता समझौता मौजूद है या नहीं, उन विवादों के संबंध में जो मुकदमे का विषय हैं।

कार्रवाई के ऐसे कारण हैं जिन्हें मध्यस्थता के अधीन नहीं किया जा सकता है, या मुकदमे में उन पक्षों द्वारा निभाई गई भूमिका का निर्णय शामिल है जो मध्यस्थता समझौते के हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं, इसे जारी रखना होगा क्योंकि "प्रथम दृष्टया कोई वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है"

ऐसे गैर-दलों और अन्य लोगों के बीच, जो पक्ष हैं। 28. रीः विवादः धोखाधड़ी के आरोप एक को अक्षम करते हैं

मध्यस्थताः - फिर भी एक अन्य आधार जिसके आधार पर उच्च न्यायालय ने पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से इनकार कर दिया, वह है एस्टनफील्ड और अपीलकर्ता नं. 1 . उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थियों ने अपीलार्थियों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप लगाए जो धोखाधड़ी के गंभीर परीक्षण योग्य मुद्दों को उठाते हैं और

इसलिए, मामले को मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जा सकता है।

29. प्रत्यर्थियों के अनुसार, यह ऐसा मामला नहीं है जहां "धोखाधड़ी का आरोप केवल मध्यस्थता को अक्षम करने के लिए लगाया जाता है"। श्री सिब्बल, विद्वान वरिष्ठ

उत्तरदाताओं के वकील ने तर्क दिया कि शिकायत इस पर आधारित है

दावा है कि शुरुआत से ही, अपीलकर्ताओं/प्रतिवादियों का इरादा उत्तरदाताओं को धोखा देना था और अपीलकर्ताओं द्वारा किए गए गलत निरूपण के आधार पर उत्तरदाताओं को बड़ी राशि के साथ भाग लेने के लिए कहा गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि वादी में वैकल्पिक प्रार्थना धोखाधड़ी के मुकदमे को एक नियामक मुकदमे में परिवर्तित नहीं करेगी क्योंकि वैकल्पिक प्रार्थना-'पट्टे के किराये' को केवल एक वैकल्पिक उपाय के रूप में पेश किया गया है। अरुंधति मिश्रा (श्रीमती) बनाम पर निर्भरता रखना। श्री राम चरित्र पांडे (1994) 2 एस. सी. सी. 29, यह प्रस्तुत किया गया था कि यह तय किया गया कानून है कि यह पक्षों के लिए पारस्परिक रूप से असंगत याचिकाएं उठाने के लिए खुला है और इस तरह से उठाए गए वैकल्पिक याचिका पर राहत दी जा सकती है।

30. उपरोक्त दलीलों का खंडन करते हुए, अपीलार्थियों के वरिष्ठ वकील श्री शांति भूषण ने अय्यासामी मामले पर भरोसा जताया

यह तर्क देना कि मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से इनकार करने के लिए शिकायत में कोई गंभीर आरोप नहीं हैं। यह प्रस्तुत किया गया था कि केवल धोखाधड़ी के आरोप समझौते के संदर्भ में पक्षों के दायित्व के प्रदर्शन को कम करने और मामले को मध्यस्थता के लिए भेजने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

31. अधिनियम के तहत, एक मध्यस्थता समझौते का अर्थ है एक समझौता जो कानून में लागू करने योग्य है और मध्यस्थ का अधिकार क्षेत्र इस पर है - मध्यस्थता समझौते में निहित मध्यस्थता खंड का आधार।

हालांकि, एक ऐसे मामले में जहां पक्षों ने आरोप लगाया है कि मध्यस्थता समझौते को धोखाधड़ी के कारण दूषित किया गया है, न्यायालय पक्षों को ए. एम. ई. टी. लालचंद शाह बनाम को संदर्भित करने से इनकार कर सकता है।

ऋषभ एंटरप्राइजेज [आर. भानुमती, जे.]

मध्यस्थता के लिए। अय्यासामी मामले में, इस अदालत ने कहा कि केवल धोखाधड़ी का आरोप मध्यस्थता समझौते के प्रभाव को रद्द करने का आधार नहीं है

पक्षकारों और मध्यस्थता खंड के बीच से बचने की आवश्यकता नहीं है और पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए हटा दिया जा सकता है जहां केवल पक्षकारों के आंतरिक मामलों में धोखाधड़ी के सरल आरोप लगाए जाते हैं। न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी ने कहा कि केवल उन मामलों में जहां अदालत को पता चलता है कि धोखाधड़ी के गंभीर आरोप हैं जो आपराधिक अपराध का एक आभासी मामला बनाते हैं और जहां धोखाधड़ी के जटिल आरोप हैं, तो यह आवश्यक हो जाता है कि इस तरह के जटिल मुद्दों का निर्णय केवल

दीवानी अदालत साक्ष्य की सराहना पर जिसे पेश करने की आवश्यकता है। अय्यासामी मामले के पैरा (25) में न्यायमूर्ति सीकरी ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 25 ..... इसलिए, न्यायालय की जांच, अधिनियम की धारा 8 के तहत एक आवेदन पर विचार करते समय, उपरोक्त पहलू पर होनी चाहिए। क्या विवाद की प्रकृति ऐसी है कि इसे मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जा सकता है, भले ही पक्षों के बीच मध्यस्थता समझौता हो। जब धोखाधड़ी का मामला किसी एक द्वारा स्थापित किया जाता है

पक्षकारों और उस आधार पर कि वह पक्ष उस मध्यस्थता समझौते से बाहर निकलना चाहता है, धोखाधड़ी के आरोपों की एक सख्त और सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता है और केवल तभी जब न्यायालय संतुष्ट हो कि आरोप गंभीर और जटिल प्रकृति के हैं कि न्यायालय के लिए पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए हटाने के बजाय विषय वस्तु से निपटना अधिक उचित होगा, तो ही धारा 8 के तहत इस तरह के आवेदन को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

32. न्यायमूर्ति सीकरी के साथ सहमति व्यक्त करते हुए, न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ ने बताया कि न्यायालय का कर्तव्य "व्यवसाय की भावना" प्रदान करना है।

प्रभावकारिता "वाणिज्यिक लेन-देन के लिए यह इंगित करते हुए कि केवल धोखाधड़ी के आरोप पक्षों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से इनकार करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। अय्यासामी मामले के पैरा (48) में न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि

इसके अंतर्गतः

एक निजी न्यायाधिकरण के माध्यम से अपने विवादों को हल करने के लिए अनुबंध करने वाले पक्षों द्वारा दायित्व। पक्षों की मंशा उनके समझौते की शर्तों में व्यक्त की जाती है। जहाँ वाणिज्यिक संस्थाएं और व्यवसाय के व्यक्ति इस तरह के लेन-देन में प्रवेश करते हैं, वे ज्ञान के साथ ऐसा करते हैं मध्यस्थ प्रक्रिया की प्रभावकारिता। द कमर्शियल

समझ पक्षों के बीच समझौते की शर्तों में परिलक्षित होती है। अदालत का कर्तव्य [2018] 6 एस. सी. आर. को प्रदान करना है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि व्यावसायिक समझ व्यवसाय की भावना है

प्रभावकारिता "। (रेखांकित करना जोड़ा गया)

33. जब हम उपरोक्त सिद्धांतों को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करते हैं, जैसा कि पहले चर्चा की गई है, तो दोनों पक्षों ने फोटोवोल्टिक सोलर को चालू करने के लिए सचेत रूप से वाणिज्यिक लेनदेन के साथ आगे बढ़े हैं।

डोंगरी, रक्सा, जिला झांसी, यू. पी. में संयंत्र। पहला उत्तरदाता सामग्री की खरीद के लिए आगे बढ़ा है, इंजीनियरिंग, स्थापना और चालू करने के लिए जूवी इंडिया के साथ समझौता किया है और एस्टनफील्ड के साथ बिक्री और खरीद समझौता किया गया है।

डोंगरी, रक्सा, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश में सौर संयंत्र को चालू करने के लिए वाणिज्यिक समझ में भले ही जुवी इंडिया और एस्टनफील्ड मुख्य समझौते-उपकरण पट्टा समझौते (14.03.2012) के पक्षकार नहीं हैं, सभी समझौतों/अनुबंधों में मुख्य समझौते का उल्लेख करने वाले खंड शामिल हैं। यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह वाणिज्यिक प्रदान करे

"व्यावसायिक प्रभावकारिता की भावना" के साथ समझ और न कि केवल शिकायत में किए गए कथनों से। उच्च न्यायालय ने शिकायत में लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों के आधार पर पक्षों को संदर्भित करने से इनकार करना सही नहीं था।

34. यह केवल वहाँ है जहाँ धोखाधड़ी के गंभीर प्रश्न शामिल हैं, मध्यस्थता को अस्वीकार किया जा सकता है। इस मामले में, जैसा कि अपीलकर्ताओं द्वारा तर्क दिया गया था कि धोखाधड़ी का कोई गंभीर आरोप नहीं था; एस्टनफील्ड के खिलाफ लगाए गए आरोप हैं कि अपीलकर्ता नं। 1 - अमित लालचंद शाह ने उत्तरदाताओं को उपकरणों की खरीद के लिए अधिक कीमत चुकाने के लिए प्रेरित करके गलत तरीके से प्रस्तुत किया। बेशक, आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली के समक्ष 2015 की एफ. आई. आर. No.30 दिनांक 05.03.2015 में अपीलार्थियों के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। अपीलार्थी नं. 1 – अमित लालचंद शाह ने उक्त प्राथमिकी को रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 2016 की आपराधिक रिट याचिका दायर की है। उक्त रिट याचिका लंबित बताई गई है और इसलिए, हम इस संबंध में कोई विचार व्यक्त करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं, ऐसा न हो कि इससे पक्षकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि आरोपों को इतना गंभीर नहीं कहा जा सकता है कि वे पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से इनकार कर दें। किसी भी स्थिति में, नियुक्त मध्यस्थ धोखाधड़ी के आरोपों की बहुत अच्छी तरह से जांच कर सकता है।

35. मुख्य समझौता-डोंगरी, रक्सा, जिले में सौर संयंत्र को पट्टे पर देने और चालू करने के लिए उपकरण पट्टा समझौता (14.03.2012) झांसी, उत्तर प्रदेश में मध्यस्थता खंड (खंड 29) है। जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, अन्य तीन समझौते-दोनों देशों के बीच दो समझौते

ऋषभ और जूवी इंडिया (01.02.2012) और बिक्री और खरीद समझौता अमित लालचंद शाह बनाम।

ऋषभ एंटरप्राइजेज [आर. भानुमति, जे.]

(05.03.2012) ऋषभ और एस्टनफील्ड के बीच सौर परियोजना को चालू करने की व्यावसायिक समझ के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है डोंगरी, रक्सा, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश में और पक्षों के बीच विवाद को हल करने के लिए, उन्हें मध्यस्थता के लिए भेजा जाना है। पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए भेजने से इनकार करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है और इसे दरकिनार किया जा सकता है। चार समझौते अर्थात्: - ((i)

ऋषभ और जूवी इंडिया के बीच उपकरण और सामग्री आपूर्ति अनुबंध (01.02.2012); (ii) ऋषभ और जूवी इंडिया के बीच इंजीनियरिंग, स्थापना और चालू करने का अनुबंध (01.02.2012); (iii) ऋषभ और एस्टनफील्ड के बीच बिक्री और खरीद समझौता (05.03.2012); और (iv) ऋषभ और दांते एनर्जी और उस पर पक्षकारों के बीच उपकरण पट्टा समझौता (14.03.2012) को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाता है।

36. उपकरण पट्टा समझौते (14.03.2012) की शर्तों के अनुसार, अपीलकर्ता संख्या 3-दांते एनर्जी को रुपये के पट्टे के किराए का भुगतान करना पड़ता है। 13,67,500 /

- मार्च, 2012 के महीने के लिए और अप्रैल, 2012 से पंद्रह साल की अवधि के लिए 26,000/- प्रति माह के पट्टे के किराए का भुगतान करना। उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री सिब्बल ने प्रस्तुत किया है कि अपीलकर्ता संख्या 3-दांते एनर्जी ने उपकरण पट्टा समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार किराए का भुगतान नहीं किया है। श्री सिब्बल ने हमारा ध्यान एस्टनफील्ड सोलर राजस्थान प्राइवेट लिमिटेड की ओर भी खींचा है। लिमिटेड ने अपने शेयरों का 99.99% ए. आर. आर. एल. (मॉरीशस) लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) को हस्तांतरित कर दिया है और अमित लालचंद शाह के पास केवल एक शेयर (0.01%) है। एस्टनफील्ड सोलर गुजरात प्रा. लि. की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया गया। लिमिटेड, जिसने अपने शेयरों का 99.99% ए. आर. आर. एल. (मॉरीशस) लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) को हस्तांतरित किया है और अमित लालचंद शाह के पास केवल एक हिस्सा (0.01%) है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी संख्या 1-अमित लालचंद शाह

बाद में एस्टनफील्ड सोलर गुजरात प्राइवेट के निदेशक मंडल से हटा दिया गया। ई. जी. एम. दिनांक 17.12.2016 द्वारा शेयरधारकों द्वारा लिमिटेड। हम इस विवाद के गुण-दोष में जाने का प्रस्ताव नहीं करते हैं; हालाँकि, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एस्टनफील्ड ने अपनी हिस्सेदारी राजस्थान को हस्तांतरित कर दी है।

और गुजरात सौर ऊर्जा इकाइयों, हमारे विचार में, प्रत्यर्थियों के हितों की तब तक रक्षा की जानी चाहिए जब तक कि मामला मध्यस्थ द्वारा अपीलार्थियों को पट्टे के किराए के बकाया का भुगतान करने और उपकरणों के लिए भविष्य के पट्टे के किराए का भुगतान करने का निर्देश देकर हल नहीं किया जाता है।

37. उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और इस अपील की अनुमति दी जाती है। उपरोक्त सभी चार समझौते और पक्षकार

उस पर मध्यस्थता को संदर्भित किया जाता है। दिनांक 1 के नोटिस द्वारा, अपीलकर्ताओं ने सुप्रीम [2018] 6 एस. सी. आर. की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुजाता मनोहर को नामित किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत का न्यायालय उनके मध्यस्थ के रूप में। हम मध्यस्थ की पसंद के बारे में इसे पक्षों के लिए खुला छोड़ते हैं। यदि पक्ष मध्यस्थ के बारे में सर्वसम्मति पर पहुंचने की स्थिति में नहीं हैं, तो पक्षकार मध्यस्थ से संपर्क करेंगे

डोंगरी, रक्सा, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश में मध्यस्थता कार्यवाही के निपटारे तक 26,000/- प्रति माह की दर से संयंत्र। पट्टा किराया का ऐसा भुगतान दोनों पक्षों की दलीलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा और यह मध्यस्थता कार्यवाही के अंतिम परिणाम के अधीन होगा। चूँकि पक्षकारों को मध्यस्थता, वाणिज्यिक मुकदमे के लिए संदर्भित किया जाता है दिल्ली उच्च न्यायालय की फाइल पर प्रत्यर्थियों द्वारा दायर 2017 का No.85 निपटाया जाएगा। कोई लागत नहीं।

अपील की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान